प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 'लोक ऋण प्रबन्धन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं और यह 2009–10 से 2014–15 की अवधि से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में भारतीय रिजर्व बैंक और आर्थिक मामलों के विभाग में लोक ऋण प्रबंधन से संबंधित फाइलों और दस्तावेजों की जाँच के परिणाम हैं।